भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4158

29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

डीजल इंजनों का विद्युत चालित इंजनों में परिवर्तन

4158. श्रीमती पूनम महाजन:

सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार 2022 तक सभी डीजल इंजनों को विद्युत चालित इंजनों और ऑटोमोबाइलों में परिवर्तित करने के कार्य को तेज करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव्स एवं ऑटोमोबाइल्स के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के विषय में कोई कार्ययोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान डीजल/पेट्रोल चालित वाहनों को विद्युत चालित वाहनों में परिवर्तित करने की कोई योजना है;

(ड.) क्या यह भी सच है कि केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत डीजल इंजनों को वापस लेते हुए विद्युत चालित इंजनों के क्रमिक रूप से और चरणबद्ध तरीके से उत्पादन का अनुदेश दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (च): जी नहीं,भारी उद्योग मंत्रालय में डीजल और पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक चालित इंजन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इसके अतिरिक्त,देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में तैयार की। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु दिनांक 12 मई, 2021 को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी जिसका परिव्यय 18,100 करोड़ रूपए था।

iii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है जिसका कुल बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन सेलचालित वाहनों के लिए 18 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन दिया जाता है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

***